35/16

प्रार्थी मय वकील उप०। प्रार्थना पत्र पत्रावली पेश किया। दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया जावे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 16/8/16 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

16/8 बकुलाए फरीकैन/वादी/उपस्थित पीठासीन अधिकारी बाहर पधारे हैं आयन्दा पत्रावली दि० 15-9-16 को पेश होवे।

15/9/16 जवाब अप्रार्थी-6 पेश किया/अप्रार्थी 1 से 5 के वकील वास्ते प्रतिवादी की ओर से पेश किया। शेष अप्रार्थी की तरफ से हाजरी ही बतौर सूचना के खारिज नहीं। वास्ते बहस प्रा.पत्र पत्रा. दिनांक 20-9-16 को पेश हो।

20/9/16 बकुलाए प्रार्थी व अप्रार्थी वकील उपस्थित। बहस उभयपक्ष के विद्वान आधिवक्ता सुनी गयी। अप्रार्थी की ओर से वादी वकील विद्वान आधिवक्ता श्री प्रा. पैमाईश कार्य जाकर पत्थर गाढ़ी करने का निवेदन किया जिसकी वा अवलोकन किया गया। विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है जिसकी पैमाईश दि. 20-6-2015 को मौके पर कार्य जा चुकी है जिसकी पत्थर गाढ़ी कराया जाना न्यायोचित प्रतीत है। अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 111-[illegible] व जरूरत 2.(ए).अधी. 1956 स्वीकार किया जाता है। आ.ख.नं. 714/77/0.1300, 716/78/0.1200 है. वाके ग्राम सलखवास तह. कोटकासिम की पैमाईश तारीख दि: 20-06-2015 की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रा. पैमाईश कार्य जाकर पत्थर गाढ़ी कराये जाने के तहसीलदार कोटकासिम को आदेश दिये जाते हैं। मुकदमा जारी किया जावे। पत्रा. नस्तर तक कम होकर बहस तक मौजा दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय मौखिक किया जाकर आगामी दि: 20-9-16 को नोटिफाई किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner